



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 489 राँची, मंगलवार, 21 आश्विन, 1942 (श०)
13 अक्टूबर, 2020 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

29 सितम्बर, 2020

संख्या- 5/आरोप-1-54/2019 का०- 4908-- मो० कयुम अंसारी, झा०प्र०से० (चतुर्थ बैच, गृह जिला-देवघर) के विरुद्ध इनके प्रभारी कोषागार पदाधिकारी, लातेहार के पद पर कार्यावधि से संबंधित योजना-सह-वित्त विभाग (वित्त प्रभाग), झारखण्ड, राँची के पत्रांक-1555, दिनांक 10.06.2019 द्वारा आरोप-पत्र गठित कर उपलब्ध कराया गया है। प्रपत्र- 'क' में इनके विरुद्ध निम्नवत् आरोप प्रतिवेदित किये गये हैं-

1. माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर अवमाननावाद सं०-1276/2018 प्रशांत कुमार दास एवं अन्य बनाम सुखदेव सिंह एवं अवमाननावाद सं०-1221/2018 विष्णुदेव प्रसाद बनाम सुखदेव सिंह में पारित अंतरिम आदेश के अनुपालन हेतु अपर मुख्य सचिव, योजना-सह-वित्त विभाग द्वारा दिनांक 23.04.2019 को Video Conferencing कर संबंधित कोषागार पदाधिकारियों को निदेश दिया गया था कि वित्त विभाग द्वारा निर्धारित वेतन के आधार पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से बोर्ड/निगम में समायोजित कर्मियों को अनुमान्य बकाया आदि का भुगतान अविलंब कर देंगे तथा दिनांक 24.04.2019 के 05:00 बजे अपराह्न के पूर्व अनुपालन e-mail से भेजें।

2. मो० कयुम अंसारी, कोषागार पदाधिकारी, लातेहार द्वारा उनको दिए गए निदेश के आलोक में ससमय भुगतान की कार्रवाई नहीं की गयी।

3. मो० कयुम अंसारी द्वारा उक्त कार्य कर पूर्ण शीलनिष्ठा एवं कर्तव्य के प्रति निष्ठा में अभाव को प्रदर्शित किया गया, जो सरकारी सेवक आचार नियमावली के नियम- 3(1)(i) एवं (ii) के प्रतिकूल आचरण है।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-7314, दिनांक 11.09.2019 द्वारा मो0 अंसारी से स्पष्टीकरण की माँग की गई। इसके अनुपालन में मो0 अंसारी के पत्रांक-355/स्था0, दिनांक 30.09.2019 द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। मो0 अंसारी द्वारा अपने स्पष्टीकरण में कहा गया कि-

“अपर मुख्य सचिव, योजना-सह-वित्त विभाग (वित्त प्रभाग), झारखण्ड, राँची के संकल्प सं0-24/ए0सी0पी0, दिनांक 31.08.2018 के आलोक में कोषागार पदाधिकारी, लातेहार के पत्रांक-307/को0, दिनांक 22.10.2018 द्वारा लातेहार कोषागार में समायोजित श्री चन्द्रशेखर मांझी, कोषागार लिपिक का मूल सेवापुस्त, सेवा सम्पुष्टि एवं वित्तीय उत्क्रमण का लाभ देने हेतु जिला स्थापना को उपलब्ध करवाया गया। दिनांक 01.12.2018 को सम्पन्न जिला स्थापना समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में श्री मांझी की सेवा दिनांक 03.05.2005 के प्रभाव से सम्पुष्टि करते हुए दिनांक 03.05.2005 के प्रभाव से प्रथम ए0सी0पी0 एवं दिनांक 18.03.2013 के प्रभाव से द्वितीय एम0ए0सी0पी0 का लाभ प्रदान किया गया। तदनुसार श्री मांझी का वेतन निर्धारण कर कोषागार पदाधिकारी, लातेहार के पत्रांक-377, दिनांक 18.12.2018 द्वारा मूल सेवापुस्त एवं वेतन निर्धारण विवरणी सत्यापन हेतु योजना-सह-वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची को भेजा गया। योजना-सह-वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-62/वि0, दिनांक 07.01.2019 द्वारा सत्यापनोपरान्त मूल सेवापुस्त कोषागार पदाधिकारी, लातेहार को वापस किया गया। पुनः श्री मांझी का सेवापुस्त कोषागार पदाधिकारी, लातेहार के पत्रांक-971/को0, दिनांक 19.04.2019 द्वारा योजना-सह-वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची को भेजा गया, जो दिनांक 24.04.2019 को योजना-सह-वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा वापस किया गया। दिनांक 24.04.2019 को अपर मुख्य सचिव द्वारा विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिये गये निदेश के आलोक में श्री मांझी, कोषागार लिपिक के द्वारा ए0सी0पी0/एम0ए0सी0पी0 के अन्तर्गत निर्धारित वेतन विवरणी के आधार पर दिनांक 15.11.2000 से अनुमान्य बकाया वेतनादि की गणना करने के पश्चात् दिनांक 30.04.2019 को बकाया वेतनादि का भुगतान श्री मांझी को कर दिया गया एवं कार्यालय पत्रांक-101, दिनांक 30.04.2019 के द्वारा सरकार के संयुक्त सचिव, योजना-सह-वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचित कर दिया गया।”

मो0 अंसारी के स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-9675, दिनांक 03.12.2019 द्वारा योजना-सह-वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची से मंतव्य की माँग की गयी। योजना-सह-वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-1406/वि0, दिनांक 06.08.2020 द्वारा मो0 अंसारी के स्पष्टीकरण पर मंतव्य उपलब्ध कराया गया है, जिसमें मो0 अंसारी के स्पष्टीकरण को स्वीकार करते हुए उन्हें स्पष्टीकरण से मुक्त करने की अनुशंसा की गई।

मो0 अंसारी के विरुद्ध आरोप, इनके स्पष्टीकरण तथा योजना-सह-वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के मंतव्य की समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त, मो0 कयुम अंसारी, झा0प्र0से0 (चतुर्थ बैच), तत्कालीन प्रभारी कोषागार पदाधिकारी, लातेहार के विरुद्ध इस मामले को संचिकास्त किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अशोक कुमार खेतान,
सरकार के संयुक्त सचिव।
